संख्या-34/2019/717/12-5-2019-सा0-01/2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त नोडल अधिकारी,
संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 04 जून, 2019**

विषयः-''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान)'' योजना के लाभार्थियों के तहसील के अभिलेखागार में संरक्षित घोषणा-पत्र एवं अन्य कागजातों के निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6/2019/07-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019, शासनादेश संख्या-8/2019/204/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 06 फरवरी, 2019, सपठित शुद्धि पत्र संख्या-9/2019/204(2)/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 07 फरवरी, 2019, शासनादेश संख्या-31-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 05 अप्रैल, 2019, शासनादेश संख्या-26/2019/36-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 08 अप्रैल, 2019 एवं शासनादेश संख्या-30/2019/609/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 09 मई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए पात्र लाभार्थियों का चयन करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेखों की हॉर्ड कॉपी को तहसील के अभिलेखागार में राजस्व ग्रामवार संरक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही पात्र लाभार्थियों के द्वारा आवश्यक अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये गये विवरण/डाटा को डिजिटाइज्ड किये जाने तथा लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा-पत्र को डिजिटाइजेशन के पश्चात् डाटा बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप से सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश दिये गये है।

2- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के निरीक्षण हेतु नामित किये गये नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु निर्धारित बिन्दुओं में कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का बिन्दु भी सम्मिलित किया जाए और संलग्न प्रारूप पर उसकी सूचना प्राप्त की जाए।

3- नोडल अधिकारियों के द्वारा जनपद की समीक्षा बैठक के समय संलग्न प्रारूप पर इस योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना अन्तर्गत कृषकों के तहसील के अभिलेखागार में राजस्व ग्रामवार संरक्षित किये गये घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेखों का तहसीलों के निरीक्षण के समय संबंधित जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-34/2019/717(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
8- कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों के तहसील के अभिलेखागार में संरक्षित घोषणा-पत्र एवं अन्य कागजातों के निरीक्षण हेतु निर्धारित

प्रारूप-पत्र

क्र0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	कुल लघु सीमान्त कृषकों की संख्या	पात्र कृषकों की संख्या	अपात्र कृषकों की संख्या	तहसील अभिलेखागार में संरक्षित घोषणा पत्रों की संख्या	जमा होने से अवशेष घोषणा पत्रों का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।